श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
अग्रिम जमानत आवेदन– 223/26
परिवाद पत्र सं0– 87सी/25

विश्वकर्मा कुमार.....आवेदक
बनाम
बिहार सरकार.....विपक्षी

20/04/2026 आवेदक (1) विश्वकर्मा कुमार पिता निरंजन केवट उर्फ निरंजन प्रसाद, उम्र 31 वर्ष, सा0– गिलानीचक मलविगहा, थाना चण्डी, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार द्वारा संचालित किया गया। आवेदक परिवाद पत्र सं0– 87सी/25, बी0एन0एस0 की धारा– 85 के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर से इसके पूर्व में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत किसी भी न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरुद्ध कथित सारी घटनायें काल्पनिक, बनावटी एवं झूठा है। परिवादी एवं उसके परिवार वालों के द्वारा आवेदक को तंग एवं परेशान करने के उद्देश्य से साजिश के तहत फंसाया गया है। आवेदक एक गरीब परिवार का सदस्य है तथा मेहनत मजदूरी कर अपना भरण–पोषण करता है तथा उसे अपने परिवार वालों से बंटकर अलग रहना–सहना होता है। परिवादिनी एकाकी सोच वाली झगड़ालू महिला है तथा शादी के उपरान्त ससुराल आई तभी से आवेदक के गैर मौजूदगी में आवेदक के परिवार वालों के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट करने पर आमादा रहती थी तथा धमकी देती थी कि वह उसे ससुराल वालों के परिवार से अलग–थलग कर देगी। आवेदक का पूर्व का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक आज भी परिवादिनी को अपने साथ पूरे मान–सम्मान के साथ रखने को तैयार है। आवेदक दफा 482(2) बी0एन0एस0 के नियमों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः इन्हें किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

परिवादिनी ममता कुमारी की शादी दिनांक 26/04/18 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार ग्राम सुन्दर विगहा में हुई थी। शादी के समय परिवादिनी के पिता 5 लाख रुपया एवं अन्य जरूरी सामान उपहार स्वरूप दिए थे। शादी के बाद परिवादिनी करीब 15 दिन अपने ससुराल में रही उसके बाद परिवादिनी के पिता विदागी कराकर उसे अपने नैहर ले गए। शादी के करीब 3 वर्ष बाद परिवादिनी को उसके पति गौना कराकर ससुराल ले गए तथा अपने ससुराल में रहने के दरमयान गर्भवती हुई तथा उसी समय से उसके परिवार के लोग ससुर निरंजन केवट, सास मुन्नी देवी, ननद चन्दा कुमारी, पूनम कुमारी बगैरह सभी कहने लगे कि तुम काली लड़की हो हमलोगों को पसंद नहीं हो इसलिए तमको तभी रखेंगे जब तुम्हारा बाप एक लाख रुपया नकद एवं एक मोटर साइकिल दहेज में देगा। परिवादिनी द्वारा दहेज नहीं देने पर उसका पति, सास, ससुर, एवं ननद सभी मिलकर मारपीट करना शरू कर दिए और दो–तीन दिनों तक खाना–पीना नहीं देने लगे और बराबर धमकी देते रहते कि जब तक दहेज की मांग पूरा नहीं होगा तब तक तुमको नहीं रखेंगे। परिवादिनी इस बात की खबर अपने नैहर अपने पिता को देती रहती थी जिसपर उसके

अग्रिम जमानत आवेदन– 223/26

परिवाद पत्र सं0– 87सी/25

पिता परिवादिनी के ससुराल आकर उसके पति, सास, ससुर, ननदों को समझाने के लिए जाया करते तो उनके ही सामने परिवादिनी को सभी मिलकर मारपीट करते थे। इसी बीच परिवादिनी ने एक बच्ची को जन्म दी तथा बच्ची के जन्म के बाद ससुराल के लोग काफी उग्र हो गए और पति विश्वकर्मा कुमार को दूसरी शादी कर देने की बात कहने लगे। परिवादिनी ने अपने पिता को बुलाकर महिला थाना बिहार शरीफ में गई जहाँ महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा दिनांक 22/01/24 को दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया और समझौता में पति एवं उसके परिवार वालों ने वादा किया कि आज के बाद कोई गाली–गलौज नहीं करेंगे तथा खाना–पीना में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझौता के बाद पुनः परिवादिनी अपने ससुराल में रहने लगी लेकिन समझौता का कोई असर नहीं हुआ। पुनः परिवादिनी को मारपीट करने लगे तथा अंतिम बार दिनांक 12/02/25 को शाम छः बजे ससुराल वाले मिलकर परिवादिनी को मारपीट, गाली–गलौज करते हुए घर से निकाल दिए।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद परिवादिनी ममता कुमारी के द्वारा दाखिल परिवाद–पत्र के आधार पर संस्थित है। अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त विश्वकर्मा कुमार (आवेदक) के विरुद्ध बी0एन0एस0 की धारा– 85 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया है। इस अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को मेडियेसन हेतु भेजने का प्रयास किया गया, परन्तु परिवादिनी द्वारा अपने ससुराल जाने से इन्कार किया गया तथा अपनी जान का खतरा बताया गया। यद्यपि कि आवेदक (परिवादिनी का पति) द्वारा परिवादिनी को साथ ले जाने की बात कथित की गई। आवेदक द्वारा जीविकोपार्जन मछली बेचकर किया जाता है तथा परिवादिनी की एक तीन वर्ष की पुत्री भी है, जो परिवादिनी के साथ रहती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा न्यायहित में आवेदक के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि आवेदक परिवाद पत्र–सं0– 87सी/25 के निष्पादन तक परिवादिनी को 1000/– (एक हजार) रुपए प्रत्येक माह का खर्चा जो प्रत्येक माह के 7 तारीख तक देय होगा, दिए जाने की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक को निम्न न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में मो0– 10,000/– रुपए के दो प्रतिभुओं द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर धारा– 482(2) द0प्र0स0 के शर्तों के अधीन कि (1) एक जमानतदार नजदीकी परिवार का सदस्य होगा तथा दूसरा गांव समाज का सम्मानित सदस्य होगा (2) आवेदक काण्ड के साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या धमकी नही देंगे और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। (3) इस प्रकार के आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर बंध पत्र खंडित करने हेतु न्यायालय स्वतंत्र होगा।

(लेखापित एवं संशोधित)

दीपक कुमार यादव
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)